न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

प्रकीर्ण वाद संख्या–251/2026

कंठश्री बनाम् ऋषिपाल आदि।

कम्प्यूटर नं0–125/2026

धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0,

थाना–पटियाली, जिला कासगंज।

दिनांक–08.05.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिया/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थिया की ओर से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रा. र्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 संक्षेप में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ''प्रार्थिया के स्व० पुत्र सुनील कुमार की शादी मीरा पुत्री ऋषिपाल के साथ हुयी थी। सुनील की मृत्यु लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। सुनील की पत्नी मीरा अपने पिता व भाईयों के साथ प्रार्थिया व उसके परिजनों पर नाजायज दबाव बनाती है कि जमीन का बैनामा मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हे चैन से नहीं रहने दूंगी, जान से मरवा दूंगी और आये दिन इसी तरह से धमकियां देती रहती है। दिनांक 20.01.2026 को समय करीब रात 09 बजे मीरा अपने पिता ऋषिपाल, भाई ब्रजेश, राकेश, जुगेन्द्र और नन्नू प्रार्थिया के घर में नाजायज असलाह व लाठी–डण्डे लेकर जबरन घुस आये और आते ही प्रार्थिया के साथ मारपीट करने लगे, प्रार्थिया के सिर पर ऋषिपाल नाजायज तमंचा की बट से प्रहार किया, जिससे प्रार्थिया के सिर में गंभीर चोटें आयी। प्रार्थिया की चीख पुकार पर प्रार्थिया के पति महेन्द्र सिंह व वीरेश कुमार बचाने आये, तो राकेश व जुगेन्द्र ने अपने हाथ में लिये नाजायज तमंचो से जान से मारने की नियत से सीधे फायर कर दिये, जिससे प्रार्थिया का पति व पुत्र बाल–बाल बच गये। इसी बीच शोरगुल पर गांव के बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी व प्रार्थिया व उसके पति व पुत्र को बचाया। गांव के लोगों को आता देख ऋषिपाल अपने पुत्रों के साथ मां–बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये जान से मारने व फिर से देख लेने की धमकी देते हुये चले गये। प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने दिनांक 21.01.2026 को थाना पटियाली गयी, तो उसकी तहरीर लेकर रख ली, परन्तु कोई कार्यवाही नही की और न ही रिपोर्ट दर्ज की और न ही प्रार्थिया की चोटों का मेडीकल परीक्षण कराया, जबकि प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु थाना पटियाली के निरंतर चक्कर काटती रही। तब प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, जनपद कासगंज को वजरिये रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित किया, लेकिन रजिस्ट्री भेजने के बाबजूद भी इलाका पुलिस द्वारा उपरोक्त विपक्षीगण के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी और न ही थाना हाजा पर प्रार्थिया का मुकद्दमा पंजीकृत किया, तब मजबूरन प्रार्थिया यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। अतः थाने में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।''

3. थाना की आख्यानुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4. प्रार्थनापत्र पर सुना एवं थाने की आख्या तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण के सभी तथ्य प्रार्थिया की निजी जानकारी में है। घटना के स्वतंत्र साक्षी भी प्रार्थिया की निजी जानकारी में है।

अन्वेषण की कोई आवश्यकता दर्शित नहीं होती है। परिवाद में दर्ज हो। दिनांक 09.06.2026 को बयान अन्तर्गत 223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

(खान जीशान मसूद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद कासगंज।
(J.O. Code No. UP 2480)

दिनांक–08.05.2026